सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना Member of Parliament Local Area Development Scheme



अनिल कुमार चौघरी निदेशक ANIL KUMAR CHOUDHARY DIRECTOR

TEL: 23344933 FAX: 23364197 भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001 E-mail: akchoudhary@nic.in

No. C/16/2009-MPLADS

14.09.2009

To

The Commissioners, Corporation of Kolkatta/Chennai/Delhi Districts Collectors/District Magistrates/Deputy Commissioners

Subject: Completion of eligible works recommended by 14th Lok Sabha MPs and unspent balance thereof – regarding

Reference our earlier circular dated 15.07.2009 on the above subject wherein it was intimated that all recommendations received from MPs upto the 14th Lok Sabha on or before 18.05.2009 shall be executed, provided they are eligible as per MPLADS Guidelines and within the entitlement of MPLADS funds of the MP. The Guidelines also provides that any recommendation received is required to be examined within 45 days by the District Authority and the time limit for completion of sanctioned works should generally not exceed more than one year.

2. In view of the provision of the Guidelines, the recommendations of MPs upto the 14th Lok Sabha should have been examined by now and the eligible works sanctioned by the district authorities. The eligible sanctioned works in respect of MPs upto the 14th Lok Sabha shall be completed by the stipulated time frame by the district authorities and in no circumstances should the sanctioned work should extend beyond one year from the date of sanction, unless there are some extra-ordinary circumstances. The District Authority must ensure that all eligible works upto 14th Lok Sabha MPs are completed latest by 30th September, 2010.

Contd....2...

- The district authorities shall open a new savings bank account in respect of all 15th Lok Sabha MPs, even if they are re-elected from the same constituency, since two databases are being maintained separately for entitlements upto 14th Lok Sabha and the 15th Lok Sabha onward respectively.
- Consequent upon delimitation of constituencies, changes have occurred in 4. the topography of many constituencies in the 15th Lok Sabha, with some of the constituencies of 14th Lok Sabha having ceased to exist and some new constituencies having been created in the 15th Lok Sabha. As a result of these changes, no clear linkages between several of the constituencies of the 14th Lok Sabha with the 15th Lok Sabha, could be established. The unspent balance after completion of all the eligible recommended works, if any, may not be automatically passed/distributed on to the account of the 15th Lok Sabha MPs of the constituencies. The instructions regarding distribution of the unspent balances upto the 14th Lok Sabha MPs will follow shortly.
- These instructions should be strictly adhered to in implementation of 5. MPLAD Scheme.

Yours faithfully,

(Anil Kumar Choudhary)

Director (MPLADS)

Copy for information to:

1. All Hon'ble Members of Parliament (Lok Sabha/Rajya Sabha)

2. The Secretaries, Nodal Departments, dealing with MPLADS (All States/UTs).

3. Officer on Special Duty, Rajya Sabha Committee on MPLADS, Rajya Sabha

Secretariat, New Delhi.

4. Additional Director, Lok Sabha Committee on MPLADS, Lok Sabha Secretariat, New Delhi.

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना Member of Parliament Local Area Development Scheme



अनिल कुमार चौधरी निदेशक ANIL KUMAR CHOUDHARY DIRECTOR TEL: 23344933 FAX: 23364197

भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय 211, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली -110001 GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION 211, SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001 E-mail: akchoudhary@nic.in

सं. सी/16/2009-एमपीलैंड्स

14.09.2009

सेवा में

आयुक्त, कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली निगम जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषयः 14वीं लोक सभा के सांसदों द्वारा अनुशंसित पात्र कार्यों को पूरा किया जाना और उनकी अव्ययित शेष राशि ।

उपर्युक्त विषय पर हमारे पिछले परिपत्र दिनांक 15.7.2009 का संदर्भ लें जिसमें यह सूचित किया गया था कि 14वीं लोक सभा तक के सांसदों से 18.5.2009 को या उससे पहले प्राप्त हुई सभी अनुशंसाओं को निष्पादित किया जाएगा, बशर्ते कि वे एमपीलैंड्स दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र हों और सांसद की एमपीलैंड्स निधि की पात्रता की सीमा के अंदर हों । दिशा-निर्देशों में यह भी प्रावधान है कि जो भी अनुशंसा प्राप्त होती है, जिला प्राधिकारी द्वारा उसकी 45 दिनों के अंदर जांच की जाए तथा स्वीकृत कार्यों को पूरा करने की समय-सीमा सामान्यतया एक वर्ष से अधिक न हो ।

- 2. दिशा-निर्देशों के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, 14वीं लोक सभा तक के सांसदों की अनुशंसाओं की जांच अब तक हो गई होगी और जिला प्राधिकारियों द्वारा पात्र कार्यों को स्वीकृत कर दिया गया होगा । 14वीं लोक सभा तक के सांसदों के संबंध में, स्वीकृत पात्र कार्यों को जिला प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए और किसी भी स्थिति में, जब तक कुछ असाधारण परिस्थितियां न हों, स्वीकृत कार्य को पूरा करने में स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष से अधिक समय न लगे । जिला प्राधिकारी यह अवश्य सुनिश्चित करें कि 14वीं लोक सभा तक के सांसदों के सभी पात्र कार्य 30 सितम्बर, 2010 तक पूरे हो जाएं ।
- 3. जिला प्राधिकारी **15वीं लोक सभा के सभी सांसदों के लिए नए बचत बैंक खाते खोलेंगे,** चाहे वे उसी निर्वाचन-क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए हैं, क्योंकि 14वीं लोक सभा तक की तथा 15वीं लोक सभा से पात्रताओं के लिए क्रमशः दो अलग-अलग डाटाबेस बनाए जा रहे हैं ।

- 4. निर्वाचन-क्षेत्रों के सीमा-निर्धारण के फलस्वरूप, 14वीं लोक सभा के कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों के समाप्त हो जाने और 15वीं लोक सभा में कुछ नए निर्वाचन-क्षेत्र सृजित होने से, 15वीं लोक सभा में कई निर्वाचन-क्षेत्रों के भौगोलिक-स्वरूप में परिवर्तन आ गया है । इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप, 14वीं लोक सभा के अनेक निर्वाचन-क्षेत्रों के बीच कोई क्लियर लिंकेज 15वीं लोक सभा के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता । अनुशंसित किए गए सभी पात्र कार्य पूरे होने के बाद अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, 15वीं लोक सभा के सांसदों के निर्वाचन-क्षेत्रों के खातों में स्वतः अंतरित/वितरित न की जाए । 14वीं लोक सभा तक के सांसदों के अव्ययित शेष के वितरण के संबंध में निदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे ।
- 5. एमपीलैंड योजना के कार्यान्वयन में इन निदेशों का पूरी तरह पालन किया जाए ।

्भवदीय,

(अनिल कुमार चौधरी)

निदेशक (एमपीलैंड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

- 1. सभी माननीय सांसद (लोक सभा/राज्य सभा) ।
- 2. सचिव, एमपीलैंड्स से संबंधित नोडल विभाग (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) ।
- 3. विशेष कार्य अधिकारी, एमपीलैंड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 4. अपर निदेशक, एमपीलैंड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।